

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक दौसा

## -कार्यालय - आदेश:-

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा दौसा के आदेश कमांक जिशिअ/प्राशि/दौसा/ स्वघोषणा पत्र/फा-मान्यता/2012/4441 दिनांक 19.12.2012 के द्वारा संस्था द बोहराज ग्लोबल स्कूल रामगढ़ रोड महवा (P18624) को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम ८ के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र 2012-13 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए जारी किया गया था। चूंकि वर्तमान में उक्त विद्यालय उच्च माध्यमिक स्तर तक कमोन्नत हो चुका है एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार दिनांक 01.04.2010 के बाद की मान्यताओं के लिए पुनः आरटीई की मान्यता को लेने/मान्यता को रिन्यू करवाने की शर्त को विलोपित कर दिया गया है।

अतः उक्त विद्यालय की आरटीई की मान्यता राज्य सरकार/विभाग के निर्देशानुसार लगातार स्थायी रहेगी।

*लेखा*  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय) माध्यमिक दौसा

कमांक:- जिशिअ/मु/मा/दौसा/आरटीई/2023/1028

दिनांक:- 23/05/2023

प्रतिलिपि:-

01. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
02. श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर।
03. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दौसा।
04. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा दौसा।
05. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
06. संबंधित संस्था *लोहराजा ग्रामीण कन्फर्मेट*।
07. रक्षित प्रति।

*लेखा*  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय) माध्यमिक दौसा

*OK*  
PRINCIPAL (10828)  
The Bohras Global School  
Mahwa (Dausa)

*Signature*  
DIRECTOR  
The Bohras Global School  
Mahwa (Dausa)

*लिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक मुख्यालय, दौसा*

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, दौसा, राजस्थान

क्रमांक-- जिशिअ/प्राशि/दौसा/स्वघोषणा पत्र/फा-मान्यता/2012/444)

दिनांक:-

19/12/12

संख्या संविच

दर्ता क्रमांक 2756423, मुद्रा

विषय:- नियम 8 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक 11/11/12 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के सन्दर्भ में, मैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि.दौसा(विद्यालय का नाम और पता) .....  
कक्षा-10 की विद्यालय विद्यालय, निःशुल्क, 2012-13 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए  
उक्त विद्यालय तक के लिए अन्तर्रिम मान्यता मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा- 8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की आत्र संख्या की सीमा तक आस पड़ौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बद्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. पंक्ति-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए, विद्यालय एक पृथक बैंक खोता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या अपेक्षक को छिपी छटाई प्रक्रिया का गात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आप के स्थूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि:
  - विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा।
  - किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी दोई की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा।
  - प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकथित प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - 2009 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्याग्यता/दिशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाये।
  - अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें।

परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, व 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर एकी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

*[Signature]*  
PRINCIPAL (10828)  
The Bohras Global School  
Mahwa (Dausa)

*[Signature]*  
DIRECTOR  
The Bohras Global School  
Mahwa (Dausa)

- अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और
- अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।
7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।
8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार हैं :— (संस्था के द्वारा प्रस्तुत रख घोषणा पत्र-प्रपत्र 1 के अनुसार)
- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
  - कुल निर्मित क्षेत्र
  - खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र
  - कक्षा के कमरों की संख्या
  - प्रधानाध्यापक एवं कार्यालयों एवं भंडार कक्ष
  - लड़के और लड़कियों के लिए पृथक-पृथक शौचघर
  - पीने के पानी की सुविधा
  - भिड़-डे भील पकाने के लिए रसोई
  - अवरोध मुक्त पहुँच
  - अध्यापन विज्ञता सामग्री/खेल-कूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएंगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेन्ड विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (RJ/DEO/E/DA/2012-13/RTE/...../10134.....) है।
15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निवेशक, प्रारंभिक शिक्षा/जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/संस्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

*[Signature]*  
PRINCIPAL (10828)  
The Bohras Global School  
Mahwa (Dausa),

*[Signature]*  
DIRECTOR  
The Bohras Global School  
Mahwa (Dausa)

*[Signature]*  
जिला निवेशक अधिकारी  
RJ/DEO/E/DA